Khursheed Alam Assistant Professor Department of Political Science

B.A 2nd years subsi

Preamble (B.A.) IInd Subsidiary. Political Science.

Preamble यानी के संविधान का प्रस्तावना, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना हमें संविधान की बुनियादी बातों को बताता है। संविधान का दर्पण प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना हमें प्रेरणा देता है की कैसे ~~देश~~ देश का संचालन हो। प्रस्तावना एक vision है, यह राष्ट्र की नीति और उसके लक्ष्यों को दर्शाता है।

"We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist secular Democratic Republic and to secure to all its citizens: Justice - social, economic and political;
Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;
Equality of status and of opportunity;

and to promote among them all,
fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.
In our Constituent Assembly this Twenty six day of November, 1949, do Hereby Adopt, Enact And Give to Ourselves this Constitution

संविधान निर्माताओं ने ~~क~~ जो मुख्य कार्य राज्य के लिए धारित किया था वह Justice, Equality, Liberty, freaternity का लक्ष्य था।
प्रस्तावना संविधान के मौलिक ~~भाग~~ भाग में शामिल नहीं है उसके बावजूद यह संविधान के व्याख्या और ~~क~~ इसको समझने में ~~सहा~~ सहायक सिद्ध होता है।

हमारा संविधान का स्वरूप कैसा है यह इस बात को दर्शाता है। देश और राष्ट्र को कैसे चलाया जाय यह इनकी रूप यह मार्गदर्शक जैसे कार्य करता है। इसे दूसरे शब्दों में हम "Introduction to constitu constitution" कह सकते हैं।